न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – **श्री देवीलाल यादव (R.A.S.)**

प्रार्थना पत्र संख्या – 08/2022 " हगामी बनाम करतारनाथ

1. श्रीमति हगामी देवी पत्नी श्री सुण्डाराम उम्र करीबन 49 साल
2. श्रीमति नन्दू देवी पत्नि श्री पूसाराम उम्र करीबन 54 साल
   सर्व जाति जाट निवासी ग्राम खेड़ा **नोनन्द**पुरा तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

–अपीलार्थीया

बनाम

1. करतारनाथ पुत्र स्व. देवानाथ
2. जगदीश जोगी पुत्र स्व. देवानाथ
3. हनुमान पुत्र स्व. देवानाथ
4. नन्दू देवी पत्नि स्व. देवानाथ
5. ममता पुत्री स्व. देवानाथ
6. मेवा देवी स्व. देवानाथ
   सर्व जाति जोगी सर्व निवासी ग्रम शंकरपुरा ग्राम पंचायत कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
7. ग्राम पंचायत कालानाडा जरिये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर।
8. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75,81 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते ग्राम पंचायत कालानाडा के नामान्तरण संख्या 376 प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक [illegible].07.2012 को शून्य घोषित करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

!! निर्णय !!

दिनांक:—18.08.2023

1. संक्षिप्त में अपील की सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील जरिये वकील रामदेव गुर्जर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम नोनन्दपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 52, 153, 293 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 592 में पृष्ठ संख्या 182 क्रम संख्या 2012001834 पर उपपंजीयक किशनगढ के समक्ष मूल खातेदार देवानाथ पुत्र सुजनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम शंकरपुरा से क्रय किया था। उपरोक्त ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52 कुल रकबा 0.4611 हैक्टैयर, खसरा संख्या 153 कुल रकबा 0.5420 हैक्टैयर में विक्रेता का 1/3 हिस्सा था जिसे अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण खरीद लिया गया था तथा उसी के अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 293 वर्तमान ग्राम शंकरपुरा के खसरा संख्या 116 कुल रकबा 2.4351 हैक्टैयर भूमि के रेस्पोडेन्टस के पिता/पति के 1/3 में से 1/4 अर्थात 1/12 हिस्सा अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया गया था। उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत कालानाडा तहसील अरांई द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 376 प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 23.07.2012 स्वीकृत किया गया था उसमें नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 293 हाल ग्राम शंकरपुरा शंकरपुरा के खसरा संख्या 116 कुल रकबा 2.4351 हैक्टैयर भूमि में विक्रेता के 1/3 में से 1/4 अर्थात 1/12 हिस्से का अंकन सही किया गया किन्तु नामान्तरण संख्या 376 में ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52 व 153 में क्रय भूमि 1/3 का नामान्तरण नहीं भरा गया जबकि सम्पूर्ण आराजी में 1/12 हिस्से का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो कि अपीलार्थी के हक—अधिकार तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध खोला गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थीया एक गरीब कृषक महिला है जो कि कृषि से ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है लेकिन रेस्पोडेन्टस उक्त गलत नामान्तरण का जानकारी होते हुये भी ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52, 153 में विक्रेता देवानाथ के फौत होने के पश्चात विरासत नामान्तरण स्वीकृत करवा कर हकत्यागनामा निष्पादित करवा कर हकत्याग नामान्तरण प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात को बेचान हस्तानान्तरण, रहन करने [illegible] है, जो विरासत नामान्तरण तथा हकत्याग नामान्तरण अपीलार्थीया के हक, अधिकार के [illegible] होने से प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है एवं मूल खातेदार देवानाथ का ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52, 153 में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने पर भी विरासत का नामान्तरण खोला गया है जो कि विधि विरूद्ध है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी दिनांक 07.01.2022 को अपीलार्थी को जब हुई जब वह अपनी खरीदशुदा भूमि पर ऋण लेने बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का से सम्पर्क किया। जब अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्टस से सम्पर्क किया तो रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 06 ने धमकी दी की उक्त आराजीयात हमारी है, हम इसका बेचान कर देंगें। तब व्यथित होकर अपीलार्थीया ने वकील से मिलकर यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है। जो अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है फिर भी विधिक आक्षेपों से बचने के लिये धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम नोनन्दपरा के खसरा संख्या 53, 153 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के बिना माफिक रेस्पोडेन्टस संख्या 07 के प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 23.07.2012 को स्वीकृत नामान्तरण संख्या 376 निरस्त फरमाया जाकर मूल खातेदार देवानाथ द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 20.0.2012 में ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52, 153 में निहित 1/3 हिस्से के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने के हेतु रेस्पोडैन्टस संख्या 08 तहसीलदार अरांई को निर्देशित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं विकल्प में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 06 के पक्ष में स्वीकृत विरासत के नामान्तरण तथा हकत्याग नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील को दिनांक 13.01.2022 को क्रमांक 08/2022 पर दर्ज किया गया। वकील अपीलार्थी ने धारा 81 पर बहस पूरी की जिससे की रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 को ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52,153 में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती के आदेश दिये गये।

वकील अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि विक्रय नामान्तरण जो गलत अंकन के आधार पर स्वीकृत किया गया व दिनांक 23.07.2012 से अपील पेश होने तक का समय क्षम्य किया जाना आवश्यक है क्योंकी अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जिनको समय पर जानकारी नहीं हुई सद्भाविक है। दिनांक 07.01.2022 को जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा अपील श्रीमान के समक्ष पेश कर दी गई है। श्रीमान अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलान्टस के हित अधिकार सुरक्षित रह सके अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पेश अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

हमारे द्वारा वकील वादी की धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई मनन किया गया अतः न्यायहित में मियाद को क्षम्य करते हुये अपील अन्[illegible]मियाद [illegible]मार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13.01.2022 को रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये दिनांक 17[illegible]2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। बावजूद तामिली एवं लगातार तारीख

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

पेशी पर मौके दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 03.06.2022 को तथा दिनांक 17.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 का जवाब बन्द कर दिया गया।

3. दिनांक 04.08.2023 को वकील अपीलान्टस की बहस सुनी गई वकील अपीलान्टस ने अपील की बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम नोनन्दपुरा तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 52, 153, 293 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 592 में पृष्ठ संख्या 182 क्रम संख्या 2012001834 पर उपपंजीयक किशनगढ के समक्ष मूल खातेदार देवानाथ पुत्र सुजनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम शंकरपुरा से क्रय किया था। उपरोक्त ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52 कुल रकबा 0.4611 हैक्टैयर, खसरा संख्या 153 कुल रकबा 0.5420 हैक्टैयर में विक्रेता का 1/3 हिस्सा था जिसे अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण खरीद लिया गया था तथा उसी के अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 293 वर्तमान ग्राम शंकरपुरा के खसरा संख्या 116 कुल रकबा 2.4351 हैक्टैयर भूमि के रेस्पोडेन्टस के पिता/पति के 1/3 में से 1/4 अर्थात 1/12 हिस्सा अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया गया था। उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के अनुसार ग्राम पंचायत कालानाडा तहसील अराई द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 376 प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 23.07.2012 स्वीकृत किया गया था उसमें नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 293 हाल ग्राम शंकरपुरा शंकरपुरा के खसरा संख्या 116 कुल रकबा 2.4351 हैक्टैयर भूमि में विक्रेता के 1/3 में से 1/4 अर्थात 1/12 हिस्से का अंकन सही किया गया किन्तु नामान्तरण संख्या 376 में ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52 व 153 में क्रय भूमि 1/3 का नामान्तरण नहीं भरा गया जबकि सम्पूर्ण आराजी में 1/12 हिस्से का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो कि अपीलार्थी के हक–अधिकार तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध खोला गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थीया एक गरीब कृषक महिला है जो कि कृषि से ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है लेकिन रेस्पोडेन्टस उक्त गलत नामान्तरण का जानकारी होते हुये भी ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52, 153 में विक्रेता देवानाथ के फौत होने के पश्चात विरासत नामान्तरण स्वीकृत करवा कर हकत्यागनामा निष्पादित करवा कर हकत्याग नामान्तरण प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात को बेचान हस्तानान्तरण , रहन करने पर आमादा है, जो विरासत नामान्तरण तथा हकत्याग नामान्तरण अपीलार्थीया के हक, अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है एवं मूल खातेदार देवानाथ [illegible] के खसरा संख्या 52, 153 में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने पर भी विरासत का नामान्तरण खोला गया है जो कि विधि विरूद्ध है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी दिनांक 07.01.2022 को अपीलार्थी को जब हुई ज बवह अपनी खरीदशुदा भूमि पर ऋण लेने बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:24 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का से सम्पर्क किया। जब अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्टस से सम्पर्क किया तो रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 06 ने धमकी दी की उक्त आराजीयात हमारी है, हम इसका बेचान कर देंगें। तब व्यथित होकर अपीलार्थीया ने वकील से मिलकर यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है। जो अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है फिर भी विधिक आक्षेपों से बचने के लिये धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम नोनन्दपरा के खसरा संख्या 53, 153 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2012 के बिना माफिक रेस्पोडेन्टस संख्या 07 के प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 23.07.2012 को स्वीकृत नामान्तरण संख्या 376 निरस्त फरमाया जाकर मूल खातेदार देवानाथ द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 20.0.2012 में ग्राम नोनन्दपुरा के खसरा संख्या 52, 153 में निहित 1/3 हिस्से के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने के हेतु रेस्पोडैन्टस संख्या 08 तहसीलदार अरांई को निर्देशित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं विकल्प में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 06 के पक्ष में स्वीकृत विरासत के नामान्तरण तथा हकत्याग नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे।

हमारे द्वारा वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः वकील अपीलार्थी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कालानाडा द्वारा दिनांक 23.07.2012 को प्रस्ताव संख्या 04 पारित नामान्तरण संख्या 376 को शून्य घोषित किया जाता है।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राज. अधि. 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कालानाडा के नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 23.07.2012 को शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार पुनः दस्तावेजात् की जांच करते हुये नामान्तरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18/08/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:14 IST
Reason: Self attested

देवीलाल यादव (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई(अजमेर)